तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/7519/2006/नागौर भारत संघ वगैरहा बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य

उपस्थितः–
श्री सुरेन्द्र कुमार सेठी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
श्री वीरेन्द्र सिंह पंवार, उपराजकीय अधिवक्ता, सरकार

निर्णय
दिनांकः– 30–01–2019

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 84 सपठित धारा 9 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–05–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

आलोच्य आदेशानुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अदम तकमील में खारिज किया है।

हस्तगत प्रकरण विलम्ब से प्रस्तुत किया। उक्त कारित विलम्ब को क्षमा करने बाबत भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय कारणों के प्रस्तुत किया। हमने उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में दोनों पक्षों को सुना। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कारण सद्भावी तथा ठोस होने के कारण उन पर विश्वास किया जाकर प्रकरण में कारित विलम्ब को क्षमा किया जाकर निगरानी को अदंर मियाद शुमार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता का कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उनके द्वारा प्रस्तुत अपील में आक्षेपित आदेश द्वारा मामले को अदम अदायगी कास्ट के आधार पर आदेश पारित करते हुए खारिज कर दी।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/7519/2006/नागौर भारत संघ वगैरहा बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आगे बताया कि अदम अदायगी कास्ट के आधार पर अपील को खारिज करने की अधिकारिता अपीलीय न्यायालय को नहीं है। उनका आगे कहना है कि कॉस्ट अदा न होने के आधार पर रेस्पोडेन्ट अप्रार्थी की ओर से वे स्वयं व उनके अधिवक्ता की ओर से कोई आपत्ति पेश नहीं हुई । यदि कोई आपत्ति की जाती तो वह उक्त अपील की पत्रावली पर आदेशिका में अंकित होती। उनका तर्क है कि दिनांक 29-04-2006 को अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील में पक्षकारान को सुने बिना ही अपील को दिनांक 06-05-2006 को नियत कर दी एवं पक्षकारान को सुने बिना ही आदेश पारित कर अपील खारिज कर दी। जबकि पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देना विधिनुसार आवश्यक था। इस प्रकार आक्षेपित आदेश त्रुटिपूर्ण है। अन्त में उन्होंने निगरानी स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 06-05-2006 को निरस्त करते हुए अपीलीय न्यायालय के समक्ष लम्बित अपील को पक्षकारान को सुनकर विधिनुसार निर्णित करने हेतु अपीलीय न्यायालय को निर्देशित करने का निवेदन किया। विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता ने बहस में बताया कि अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील अदम हाजरी में खारिज होने के बाद उनके आवेदन पर पुनः 4 वर्ष बाद कास्ट की राशि के साथ पुनः नम्बर पर ली गई है। यही नहीं आक्षेपित निर्णय के दिन तक प्रार्थीगण ने अधिरोपित की गई कास्ट की राशि जमा नहीं करवाई है, इस बाबत राज्य पक्ष ने राशि नहीं जमा कराने की आपत्ति प्रस्तुत की थी। अतः आक्षेपित आदेश विधि सम्मत है। अन्त में उन्होंने निगरानी खारिज कर आक्षेपित आदेश को यथावत रखे	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/7519/2006/नागौर भारत संघ वगैरहा बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जाने का निवेदन किया। हमने उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं उपलब्ध रेकार्ड का गहनता से अध्ययन व अवलोकन किया। यह सही है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 24-07-1992 को अदम हाजरी में खारिज हो गई थी। अपीलान्ट के आवेदन पर दिनांक 24-10-2002 को 4 वर्ष बाद 500/- रूपये कॉस्ट पर पुनः नम्बर पर ली गई थी। अपीलान्ट ने आक्षेपित निर्णय की तिथि तक न तो कॉस्ट का भुगतान किया तथा न ही कोई रसीद ही पेश की है। रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 29-04-2006 को आपत्ति करने के बावजूद भी कॉस्ट का भुगतान नहीं किया था। फलस्वरूप अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा प्रार्थीगण की अपील को अदम तकमील में खारिज कर दिया। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार कि प्रत्येक प्रभावित पक्षकार को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। विधायिका की मंशा को दृष्टिगत रखते हुए निगरानी मीमो में चाहे गये अनुतोष के अनुसार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील में पुनः सुनवाई किया जाना उचित समझते है। अतः हम न्यायहित में यह उचित समझते है कि दोनों पक्षकारों के दस्तावेजात एवं साक्ष्यों का विधिक परीक्षण कर अपीलीय न्यायालय मामले में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस हेतु राज्य पक्ष ने अपनी सहमति दी है। अधिनियम की धारा 9 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत हम इस प्रकरण को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है। तदनुसार प्रस्तुत निगरानी को रूपये	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/7519/2006/नागौर भारत संघ वगैरहा बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	2,000/– (अक्षरे दो हजार रूपये मात्र) की कॉस्ट अधिरोपित करते हुए आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह निगरानी रूपये 2,000/– (अक्षरे दो हजार मात्र) की कॉस्ट राशि के साथ आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–05–2006 अपास्त किया जाता है। प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया है कि दोनों पक्षकारों को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान कर दस्तावेजात एवं साक्ष्यों का विधिक परीक्षण कर पुनः निर्णय पारित करें। इसके साथ ही यह आज्ञा भी पारित की जाती है कि अधिरोपित की गई उक्त कॉस्ट की राशि प्रार्थीगण द्वारा अध्यक्ष/सचिव जिला बार एसोसियेशन नागौर के यहां जमा कराने की रसीद अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के उपरान्त न्यायालय अपील को पुनः नम्बर पर लेकर आगामी विचारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(प्रवीण गुप्ता)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/7519/2006/नागौर भारत संघ वगैरहा बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए